

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म0प्र0



श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय /
संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय हेतु वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था

तृतीय निविदा फार्म एवं शर्ते
2014–2015

कीमत रु. 5000/-
(रुपये पाँच हजार मात्र)

निविदा फार्म का मूल्य रु. 5000.00

निविदा प्रपत्र क्रमांक.....

रसीद क्र.....

दिनांक.....

वाहन व्यवस्था हेतु नियम एवं शर्ते

1. गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के परिसर मे आने वाले दो पहिया, तीन पहिया, एवं चार पहिया वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु नवम्बर 2014 से अक्टूबर 2015 तक के लिये सील बंद लिफाफे मे निविदाएँ आंमत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं शर्तों की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालयीन कार्य दिवस मे दिनांक 25.10.2014 अपरान्ह 3 बजे तक रु. 5000/- (पॉच हजार रु. मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का केवल बैंक डाफ्ट संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के नाम से जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। वाहन सुरक्षा व्यवस्था के ठेके हेतु वार्षिक न्यूनतम राशि रु. 11.00 लाख (रु. र्यारह लाख) मात्र से कम नहीं होगी। भरे हुये निविदा फार्म दिनांक 03.11.2014 अपरान्ह 3 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। भरे हुये निविदा फार्म दिनांक 05.11.2014 को दोपहर 12:30 बजे अधिष्ठाता चिकि.महा. रीवा के सभागार मे खोले जावेंगे। इसमे निविदाकार अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे।
2. निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदायें नवम्बर 2014 से अक्टूबर 2015 तक के लिये प्रभावशील होगी। बिना किसी नोटिस के ठेका का समय एक वर्ष पूर्ण होने पर समाप्त माना जावेगा।
4. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) का एफ.डी.आर. राष्ट्रीयकृत बैंक का जो संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के नाम देय होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। जिस निविदाकार का ठेका स्वीकार नहीं होगा उसकी अमानती राशि द्वितीय निविदाकार को छोड़ कर शेष को वापस कर दी जावेगी तथा द्वितीय निविदाकार की अमानती राशि प्रथम निविदाकार के कार्य संचालन प्रारंभ करने के 45 दिवस बाद वापस की जावेगी।
5. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तों मे संशोधन करने का अधिकार होगा। निविदाकार के फर्म का पंजीयन होना चाहिये, एवं पंजीयन की प्रति निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

6. निविदाकार को निविदा फार्म के साथ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र (तीन माह के भीतर तक का) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. वाहन स्टैण्ड संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के केवल चार स्थानों पर ही लगाया जायेगा। 1. नवीन बाह्य रोगी भवन 2. संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय मुख्य भवन द्वार के सामने, 3. गांधी स्मारक चिकित्सालय के मुख्य भवन द्वार के सामने, 4. प्रायवेट वार्ड एवं गायनी वार्ड के गेट के सामने। इन चारों स्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान मे अधोहस्ताक्षरी के स्वीकृति एवं निर्देशानुसार ही वाहन स्टैण्ड लगाया जा सकता है।
8. निविदाकार को वाहन सुरक्षा हेतु अस्थायी छाया का निमार्ण (बांस, बल्ली एवं तिरपाल इत्यादि) लगाकर करना होगा।
9. निविदाकार को निर्धारित स्टेण्ड की जगह की साफ-सफाई एवं व्यवस्था सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी
10. निविदाकार वाहन स्टैण्ड का ठेका अन्य किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकेंगे तथा उसे अपने कार्यकर्त्ताओं की डियूटी एवं नाम की फोटोमय सूची आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे देना होगा व स्टैण्ड के सामने बोर्ड मे लिखकर टांगना होगा। कार्य पर लगाए गए कार्यकर्त्ताओं को कार्य के समय निर्धारित पोषाक धारण करनी होगी जिसकी सूचना (डेस की सूचना) इस कार्यालय को देनी होगी साथ ही कार्य पर लगाये गये कार्यकर्त्ताओं का चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया हो, को 45 दिन के अन्दर देना अनिवार्य होगा।
11. चिकित्सालय, चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारियों चिकित्सकों, पोस्टमैनों एवं बाहर से डाक लाये हुये कर्मचारियों तथा पुलिस जो भर्ती रोगियों के साथ होंगे, उनके द्वारा रखे जाने वाले वाहनों आदि से किराया नहीं लिया जावेगा।
12. वाहन स्टैण्ड 24 घण्टे खुला रहेगा। रखे हुये वाहनों मे से यदि कोई वाहन 24 घण्टे से अधिक समय तक नहीं उठाया जाता है तो उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन मे देना आवश्यक होगा।

13. वाहन स्टैण्ड की दिन प्रतिदिन की निगरानी एवं देखरेख संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा/उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जावेगी निविदाकार को उनके निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा ।
14. निविदाकार से चिकित्सालय के कर्मचारी या जनता के बीच किसी भी प्रकार का यदि वाद— विवाद होता है तो अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
15. सफल निविदाकार को स्वीकृति निविदा राशि 04 किश्तों में तिमाही जमा करना होगा । प्रथम तिमाही किश्त की राशि ठेका प्रारंभ करने के पूर्व अग्रिम राशि के रूप में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में जमा करना होगा । तदोपरान्त ही ठेका प्रारम्भ किया जा सकेगा । आगामी 03 किश्ते त्रैमासिक रूप से अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में मॉह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा । जमा न करने की रिति मे 10 प्रतिशत अधिक राशि किस्त के साथ एक माह विलम्ब तक जमा की जा सकेगी । निर्धारित राशि जमा न करने पर निविदा को निरस्त करते हुये अमानती राशि राजसात कर ली जावेगी ।
16. निविदाकार द्वारा कार्य पर लगाए गए कर्मचारियों का फोटोयुक्त परिचय पत्र की 01 प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा ।
17. वाहन स्टैण्ड के लिये किराये की दरें अधिकतम निम्नवत निर्धारित की जाती हैं :-
 – वाहन स्टैण्ड हेतु निर्धारित अधिकतम दरें (रूपये मे)–

क्र.	वाहन शुल्क	एक बार या 24 घण्टे तक
1.	सायकल	2/-
2.	मोटर सायकल एवं स्कूटर	5/-
3.	तीन एवं चार पहिया वाहन	10/-

18. बाहय रोगी/आकस्मिक चिकित्सा विभाग तक मरीजों को लाने व ले जाने वाले वाहनों से किराया नहीं लिया जावेगा । जो वाहन केवल वाहन स्टैण्ड पर खडे होगे उन्हीं से किराया लिया जावेगा ।

19. निविदाकार जिस टोकन का उपयोग सायकल, स्कूटर, मोटर आदि वाहनों पर पूर्ण सुरक्षा हेतु प्रदाय करेगा उस पर टोकन नं., राशि, दिनांक, समय एवं निविदाकार का नाम हिन्दी मे अंकित होना अनिवार्य होगा। निविदाकार को दिये जाने वाले टोकन का नमूना की प्रति संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, जी.एम.एच., रीवा के पास जमा कराना अनिवार्य होगा।
20. वाहन स्टैण्ड मे रखी जाने वाली साइकिलों, स्कूटरों, मोटरों आदि की पूर्ण जिम्मेदारी एवं सुरक्षा, निविदाकार की होगी तथा चिकित्सक एवं स्टाफ एवं चिकित्सालय में अन्य कार्यरत कर्मचारियों के वाहन की सुरक्षा की भी पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। इसके लिये निविदाकार द्वारा 24 घण्टे का पास भी देना होगा। वाहन स्टैण्ड मे रखा हुआ वाहन चोरी होता है तो वाहन की कीमत निविदाकार को देनी होगी। इसके लिये यह कार्यालय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
21. चिकित्सालय के प्रत्येक साइकल स्टैण्ड मे रेट सूची दर के साथ मोटे अक्षरों मे जिस पर दिनांक एवं समय अंकित होना जरूरी है आवश्यक रूप से निविदाकार को लगानी होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की शिकायत होने पर यदि सत्य पाया गया तो ठेकेदार को प्रथम बार रु 10,000/- (दस हजार) का जुर्माना तथा दूसरी शिकायत प्राप्त होने पर रु. 15000.00 (पन्द्रह हजार) का जुर्माना एवं तीसरी शिकायत प्राप्त होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में अंतिम निर्णय अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का मान्य होगा।
22. निविदाकार को निविदा के साथ श्रम विभाग मे पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकार को ठेका अवधि में श्रम कानून नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पिछले दो वर्षों के आयकर रिटर्न जमा करने की पावती की छायाप्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. सफल निविदाकार को निर्धारित त्रैमासिक किस्तों की राशि अग्रिम के रूप मे अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय मे नियमित रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। जमा करने की सूचना संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय को भी देना अनिवार्य होगा।
24. यदि ठेकेदार द्वारा मासिक किराये की दर पर ऐसे वाहन कार एवं आटो खडे किये जाते हैं जिनके कोई परिजन अस्पताल मे भर्ती नहीं रहते हैं ऐसी स्थिति पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा 20,000/- (बीस हजार) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
25. कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।

26. कार्य प्रारम्भ के पूर्व सफल निविदाकार को कार्य व्यवस्था से सम्बंधित 100 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के साथ अनुबंध निस्पादित करना अनिवार्य होगा ।
27. निविदा अवधि समाप्त के बाद जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, तब तक निविदाकार को पूर्ववतः नियम, शर्तों एवं उसी दर पर निविदा कार्य को संचालित करना अनिवार्य होगा ।
28. जितने भी अशासकीय एम्बुलेन्स चिकित्सालय के अन्दर व चिकित्सालय के प्रांगण में खड़े होते हैं, उनका किराया बड़े वाहन रूपये 1500/- व छोटे वाहन रूपये 1000/- मासिक तय किया जाता है। सफल निविदाकार ऐसे वाहनों की सूची तैयार करेगे। तथा उनसे प्राप्त किराया निविदा राशि के किश्त के अतिरिक्त प्रथक से अग्रिम जमा कराना होगा। सफल निविदाकार वाहन मालिकों से आवेदन प्राप्त कर अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के कार्यालय में अनुमति हेतु प्रस्तुत करेंगे। अग्रिम राशि जमा करने के उपरांत ही अनुमति दी जावेगी। अनाधिकृत रूप से कोई भी वाहन/अशासकीय एम्बुलेंस जिसकी अनुमति अधिष्ठाता कार्यालय से प्राप्त नहीं है, वह चिकित्सालय परिसर में खड़े नहीं होगें। किसी भी प्रकार की गैरकानूनी घटना के लिये सफल निविदाकार द्वारा ही वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। चिकित्सालय परिसर में आये दृक, टैक्टर, आदि वाहन स्टैण्ड में खड़े नहीं रहेंगे। रात्रि में यदि यह वाहन पाये जाते हैं तो निविदाकार को जुर्माना किया जा सकेगा ।
29. सफल निविदाकार द्वारा लगाए गए कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की क्षति, दुर्घटना आदि के लिये यह कार्यालय जिम्बेदार नहीं होगा और न ही किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती की जावेगी। इसकी पूर्ण जिम्बेवारी निविदाकार की होगी ।
30. किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में न्यायालय रीवा होगा ।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र.

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,गांधी स्मारक चिकित्सालय,रीवा म.प्र.

निविदा प्रस्तुत करनें संबंधी सामान्य निर्देशः—

प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में तीन सील्ड लिफाफे क्रमांक ए, क्रमांक बी, एवं क्रमांक सी जो कि एक बड़े लिफाफे में सील्ड होगा, प्रस्तुत करने होगे।

लिफाफा क्रमांक ए में रखे जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः—

1. धरोहर राशि रूपये 250,000/- (दो लाख पचास हजार) का एफ.डी.आर. राष्ट्रीयकृत बैंक का, जो संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के नाम पर देय होगा।
2. वीन स्टैण्ड के ठेकेदार को पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अच्छे आचरण/चाल-चलन का प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. नोटरी द्वारा सत्यापित किसी भी प्रकार का कर बकाया न होने का शपथ-पत्र।
4. आयकर क्लीरेन्स प्रमाण पत्र बतौर पिछले दो वर्षों की आयकर रिटर्न जमा करने की रसीदों की छायाप्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. निविदा फार्म हस्ताक्षर सील सहित।
6. निविदा की शर्ते समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर सहित।
7. वाहन स्टैण्ड चलाने का अनुभव प्रमाण पत्र।

लिफाफा क्रमांक बी :- प्राइस बिड वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था हेतु वार्षिक दर प्रस्तुत करनी होगी।

लिफाफा क्रमांक सी :- लिफाफा सी में लिफाफा ए एवं लिफाफा बी रखे जाएंगे। निविदाकार लिफाफे में प्रत्येक लिफाफा में अपना पूरा पता अंकित कर सील बंद करेंगे। सबसे उपर वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा वर्ष 2014–2015 अंकित करेंगे।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय,रीवा म.प्र

निविदा आवेदन प्रपत्र का प्रारूप वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था हेतु

(निविदाकार अपने लेटरहेड में प्रस्तुत करें)

1. निविदाकार का पूरा नाम
2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं.
एवं पंजीयन की छायाप्रति
3. उम्र /लिंग /पुरुष /स्त्रीवर्षपु0 / म0.....
4. पिता का नाम
5. स्थानीय पता
6. स्थायी पता
7. पते से संबंधित उचित दस्तावेज संलग्न करें।.....
राजपत्रित अधिकारी से.....
प्रमाणित दो पासर्पोट साइज फोटो
संलग्न करें।
8. पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापित चरित्र
प्रमाण पत्र संलग्न करे।
9. अनुभव प्रमाण—पत्रों की प्रतियोगी संलग्न करें.....
10. श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र.....
11. वाहन सुरक्षा ठेके की अमानती राशि रु.
रु. 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) अंको एवं शब्दों में लिखें।.....
....
12. एफ.डी.आर. क्र. एवं दिनांक
13. पैन कार्ड /टिन नम्बर
14. आयकर क्लीरेन्स प्रमाण पत्र के बतौर पिछले दो वर्षों की आयकर रिट्टन जमा करने की रसीदों की छायाप्रति ।

15. अन्य जानकारी एवं संबंधित दस्तावेज
संलग्न करें।

नोट:- मैंने आपके द्वारा प्रकाशित निविदा क..... दिनांक को.....
.....समाचार पत्र मे प्रकाशित हुई है, के अनुसार वाहन सुरक्षा व्यवस्था का ठेका
सभी शर्ते के साथ मान्य करता हूँ।

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता

प्रपत्र – ए

(प्रथम लिफाफे में सील बंद करें तथा लिफाफे पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)

अर्नेस्टमनी राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में

अर्नेस्ट मनी दस्तावेज उल्लेख करते हुये रखने हेतु

वाहन स्टेण्ड सुरक्षा ठेके हेतु जमा अर्नेस्ट मनी से संबंधित एफ.डी.आर. का विवरण

क्रमांक	एफ.डी.आर. का नम्बर विवरण	बैंक का नाम	राशि	जारी होने का दिनांक / वैधता तिथि

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः— बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरीत कर लिफाफे मे सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

निविदाकार का नामः—

सं. क्र.	तकनीकी मापदण्ड	निविदाकार की जानकारी
1.	अर्नेस्ट मनी रु. 250000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) का एफ.डी.आर जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के नाम का संलग्न। (निविदा शर्त क्र.4)	
2.	निविदाकार का श्रम विभाग मे पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र। (शर्त क्र. 22)	
3.	निविदाकार का पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र (निविदा शर्त क्र.6)	
4.	सेवा कर प्रदाता के रूप मे पंजीयन होने का प्रमाण यदि छूट प्राप्त हो तो संबंधित विभाग का तदाशय का प्रमाण पत्र लगावें।	
5.	वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 का आयकर रिटर्न की सत्यापित छायाप्रति। पैन कार्ड नम्बर एवं उसकी छायाप्रति, आयकर/अन्य कर बकाया न होने का घोषणा पत्र नोटरी से सत्यापित (निविदा शर्त क्र. 22)	

नोटः—

- शर्त— 1. तकनीकी बिड में अगर निविदाकार द्वारा कोई भी सत्य जानकारी नहीं दी जाती है, तो प्रबंधन द्वारा तत्काल निविदा अमान्य/निरस्त कर दी जावेगी तथा सुरक्षा राशि (धरोहर राशि) राजसात कर द्वितीय ठेकेदार को जो तकनीकी योग्यता रखता होगा दे दी जावेगीं जिसके लिये निविदाकार स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
2. तकनीकी बिड मे प्रयुक्त समस्त प्रमाण पत्र को तकनीकी बिड के सीरियल नॉ के अनुसार संलग्न करें

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरीत कर लिफाफे मे सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

—घोषणा—पत्र—

(100/- रूपये के नानज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदाकार्य के लिये सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्डेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा चिकित्सालयों मे निगरानी सुरक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर उससे जो नुकसान होगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।
6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
7. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम—

पूरा पता—

फोन एवं मोबा. न.—

प्रति,

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा

विषयः— वाहन सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा बाबत् ।

—0—

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र

दिनांकमे प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हुआ, कि श्यामशाह चिकित्सा
महाविद्यालय रीवा से संबद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय / में
वाहन सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंध हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा
से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किये जा रहे हैं:—

1. श्रम विभाग मे पंजीकृत होने प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
2. पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र ।
3. आयकर रिटर्न एवं आयकर स्थायी लेखा संख्या की छायाप्रति ।
4. सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये कार्यों (वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट) की प्रतियाँ ।
5. किसी भी प्रकार के कर बकाया न होने का नोटरीकृत शपथ पत्र ।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर
पूर्ण पता

—घोषणा—पत्र—

(100/- रूपये के नानज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदाकार्य के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्डेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा चिकित्सालयों मे वाहन स्टेंड सुरक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर उससे जो नुकसान होगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।
6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
7. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
8. मैं अपने कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कलेक्टर रीवा द्वारा घोषित अकुशल दर पर भुगतान करूँगा।
9. मैं बालश्रम अधिनियम/श्रम कानून के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूँगा।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम—

पूरा पता—

फोन एवं मोबा. न.—

गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा
के परिसर मे वाहन स्टैण्ड सुरक्षा व्यवस्था हेतु

रेट सूची

मै/हम (फर्म) गांधी स्मारक
चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा के परिसर मे वाहन सुरक्षा हेतु नीचे
अंकित दर से ठेके का कार्य लेना चाहता हूँ।

वार्षिक रूपये शब्दों में वार्षिक रू.

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं पूरा पता